मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26.09.2013

क्रमांक एफ 16–10/2013/बी–ग्यारह मेसर्स अवंती इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. का लगभग रूपये 361 करोड़ के स्थाई पूँजी निवेश से ग्राम–बिन्जना, देवास मे खाद्य प्रसंस्करण तथा अधोसंरचना सेवा संबंधी परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स अवंती इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. की परियोजना में वृहद निवेश, सोया अधारित मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण तथा निर्यात की व्यापक संभावनाओं के दृष्टिगत परियोजना को निम्नानुसार विशेष सुविधाएं दी जावे–

(अ) उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित 2012) अंतर्गत

(1) **उद्योग निवेश संवर्धन सहायता**–75 प्रतिशत की दर से 8 वर्षों के लिये।

(2) **प्रवेश कर से छूट**–प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो के लिये।

(ब) मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 अंतर्गत

(1) **मण्डी शुल्क से छूटः**–परियोजना को राज्य के बाहर एवं राज्य के अंदर से क्रय किये जाने वाले अधिसूचित कृषि उपज पर 6 वर्षों के लिये इकाई में किये गये स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा तक मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जावे। इस हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पृथक से अधिसूचना जारी की जावे।

(स) मध्यप्रदेश सौर उर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति, 2012 अंतर्गत व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 अन्तर्गत

(1) **विद्युत शुल्क एवं उपकर से छूट** –परियोजनांतर्गत प्रस्तावित सौर उर्जा आधारित केप्टिव पॉवर प्लान्ट से उत्पादित विद्युत को 10 वर्षो के लिये।

(2) कम्पनी की अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16–10/2013/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 26.09.2013

प्रतिलिपि,

1. सचिव. मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आयुक्त, उज्जैन संभाग।
6. कलेक्टर, देवास।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, उज्जैन।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि., उज्जैन।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स अवंती इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., 301, द होराईजन, 11/5, साउथ तुकोगंज, इंदौर–452001 । कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग